न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज
रामस्वरूप बनाम राज0 सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख को जारी हुए।</th></tr>
<tr><td>28.03.2023</td><td>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रस्तुत पत्रवली का अवलोकन किया गया एवं तहसीलदार राहूवास से प्राप्त रिर्पोट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया प्रकरण संक्षिपत विवरण इस प्रकार से है की प्रार्थी रामस्वरूप पुत्र रामपाल एवं प्रसादी पुत्र प्रहलाद एवं पुन्नी पत्नि प्रहलाद जाति मीना निवासी निचुनिया तहसील राहुवास द्वारा प्रार्थना अन्तर्गतधारा 128 एलआरएक्ट पेश कर अपनी खातेदारी भुमि खसरा न0 66 रकबा 0.6070 हैक्टर स्थीत ग्राम निचुनिया तहसील राहूवास के पत्थरगडी करवाना चाहा है । हमने प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी अप्रार्थी गण करवाई गई एवं तहसीलदार राहूवास से जॉच रिर्पोट ली गई । जो शामिल प्रत्रावली करवाकर। मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार राहूवास के वादग्रस्त आराजी खसरा न0 66 रकबा 0.6070 वाके ग्राम निचूनिया के प्रार्थीगण रिर्काडेड खातेदार है उक्त आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान नही किया गया है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पथरगढी कराने के कानुनन अधिकारी है। अतः पार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थना पत्र 128 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार को आदेश दिये जाते है की प्रार्थी गण की खातेदारी भूमि खसरा न0 66 रकबा 0.6070 है0 वाके ग्राम निचूनिया का नियमानुसार सीमाज्ञान किया जाकर मुताबिक सीमाज्ञान जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगडी करवाई जावे। तहसीलदार राहुवास को इस आश्य की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो वाद तकमिल दफ्तर दाखिल हो
.
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा(दौसा)</td><td></td></tr>
</table>